परिशिष्ट - दो

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना, डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भु./04 भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108/भोपाल-03-05.

10017

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 2003—पौष 16, शक 1924

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2003

क्र. एफ. 3-2-2001-सत्रह-मेडि.-1.—यतः, राज्य सरकार की राय में आवश्यक हो गया है कि,—

(एक) पदों के कतिपय प्रवर्गों में कतिपय रिक्त स्थान अल्प समय के भीतर भरे जाएं, और

(दो) कतिपय स्थानों पर पदस्थापना को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएं, अतएव विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विनिर्दिष्ट स्थानों पर संविदा आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संविदा आधार पर, सेवाओं के कतिपय प्रवर्गों में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

(1) **संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2002 है.

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी ये नियम, संविदा आधार पर नियुक्त अलिपिकीय कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गों को लागू होंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

विभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

क) "उपबन्ध" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपबन्ध,

ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी,

ग) "संविदा अलिपिकीय कर्मचारी" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारी,

घ) "संविदा सेवा" से अभिप्रेत है इन नियमों में यथा उपबन्धित संविदा सेवा,

ङ) "संविदा नियुक्ति" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति,

च) "जिला" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश का राजस्व जिला,

छ) "शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन,

ज) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल,

झ) "पद" से अभिप्रेत है अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित पद,

ञ) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है नगरपालिका परिषद क्षेत्र तथा नगरपालिका निगम क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र,

ट) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची,

ठ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट समिति,

ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

विस्तार तथा प्रयुक्ति.—इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा और ये विशिष्ट स्वास्थ्य केन्द्र के लिये विभागाध्यक्ष द्वारा किये गये अलिपिकीय कर्मचारी को लागू होंगे.

संविदा रकम.—(1) संविदा कर्मचारी के लिए एकजाई निश्चित (Fixed) संविदा रकम नीचे दिये गये अनुसार होगी :—

(1)	रेडियोग्राफर	रु. 5000.00 प्रतिमास
(2)	लैब टैक्नीशियन	रु. 6000.00 तदैव
(3)	नेत्र सहायक	रु. 6000.00 तदैव
(4)	फार्मेसिस्ट ग्रेड-2	रु. 4300.00 तदैव
(5)	ड्रेसर ग्रेड-2	रु. 3900.00 तदैव
(6)	फिजियोथेरेपी टैक्नीशियन	रु. 6000.00 तदैव

रकम, शासन द्वारा, समय-समय पर, पुनरीक्षित की जा सकेगी. संविदा कर्मचारी, राज्य शासन के कर्मचारियों को लागू नियमों के अधीन भत्ता के लिए हकदार होगा, परन्तु वह किन्हीं अन्य प्रकार के भत्तों का हकदार नहीं होगा.

) किसी संविदा कर्मचारी को संविदा रकम का भुगतान उन दिनों के लिए नहीं किया जायेगा, जिनमें वह कर्तव्य से अनुपस्थित

5. चयन तथा नियुक्ति की पद्धति.—(1) पद :—स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उनमें रिक्त पदों की संख्या, विभागाध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी.

(2) चयन तथा नियुक्ति :—अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये पदों पर समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी :

परन्तु चयन समिति के गठन के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबन्ध लागू होंगे.

(3) आयु :—संविदात्मक नियुक्ति के लिए उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसमें कि नियुक्ति की जानी है, न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष और 65 वर्ष होगी.

(4) सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी की नियुक्ति.—सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी भी संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा.

(5) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता.—अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता ऐसी होगी, जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है.

(6) निरर्हता.—कोई भी अभ्यार्थी संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ था.

(7) आरक्षण —मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध) नियम, 1997 के उपबन्धों के अनुसार तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे.

(8) विज्ञापन.—नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार-पत्रों में पद विज्ञापित करेगा. विज्ञापन की एक प्रति नियुक्ति प्राधिकारी तथा संबंधित जिलों के कलेक्टर तथा जिला पंचायत के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जायेगी.

(9) नियुक्ति के लिए प्राथमिकता.—संविदा नियुक्ति के लिए सबसे पहले उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा, जिनके पास स्नातक उपाधि हो. यदि ऐसे अभ्यार्थी उपलब्ध न हों तब उन अभ्यार्थियों पर विचार किया जायेगा, जिनके पास अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अन्य अर्हताएं हों.

6. संविदा नियुक्ति की कालावधि और पदस्थापना.—संविदा कर्मचारी की संविदा की अधिकतम कालावधि दो वर्ष होगी.

7. संविदा की कालावधि के दौरान अनुशासन तथा नियंत्रण.—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा.

(2) प्रत्येक संविदा कर्मचारी, शासन के समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा, यदि कर्मचारी ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है तो यह अवचार माना जायेगा.

8. अवचार या किसी आपराधिक क्रिया कलाप में अन्तर्ग्रस्त होने पर कार्यवाही.— इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति द्वारा नियम-7 के अधीन किसी अवचार पर या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अन्तर्ग्रस्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेगा.

9. नियंत्रणकर्ता अधिकारी.— संविदा कर्मचारी, संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा.

10. अन्य शर्तें.—(1) चयनित अभ्यर्थी, नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संविदा अनुरूप में करार निष्पादित करेगा. करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किये जायेंगे. चयनित अभ्यर्थी का, उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, संविदा सेवा में होना माना जायेगा.

(2) संविदा कर्मचारी के लिये अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश के जारी होने के 15 दिन के भीतर, संविदा नियुक्ति के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करें. उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में, संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द हो जायेगी. किसी संविदा कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना, संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से भेजी जायेगी.

(3) संविदा कर्मचारी का चरित्र सत्यापन, शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा. चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तुरन्त रद्द कर दी जाएगी.

(4) प्रथम मास के लिए संविदा रकम प्राप्त करने से पूर्व, संविदा कर्मचारी स्वयं अपने खर्च पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा. इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी. सेवानिवृत्त शासकीय के लिए भी, यदि वह संविदा कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए तो ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करवाना अपेक्षित होगा.

(5) संविदा कर्मचारी के लिए पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से एक मास के भीतर संबंधित जिला चिकित्सालय में सात दिन का प्रशिक्षण लेना अपेक्षित होगा. ऐसा प्रशिक्षण संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा. संविदा कर्मचारी को ऐसे प्रशिक्षण पर भेजने के लिए संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायी होगा. संविदा कर्मचारी इस प्रयोजन के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा. तथापि सेवानिवृत्त संविदा कर्मचारी के लिए ऐसा प्रशिक्षण अपेक्षित नहीं होगा.

(6) संविदा कर्मचारी की नियुक्ति केवल किसी विशिष्ट स्थान के लिए होगी. किन्हीं भी परिस्थितियों में उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा.

(7) संविदा कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम पन्द्रह दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा, वह एक समय में अधिकतम तीन दिनों के अवकाश का उपभोग कर सकेगा/सकेगी. महिला संविदा कर्मचारी, जिसको दो से कम जीवित संतान हो, अधिकतम नब्बे दिनों की कालावधि के प्रसूति अवकाश की हकदार होगी. उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियां, संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में निहित होंगी.

(8) संविदा कर्मचारी बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति, ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जायेगी.

(9) संविदा कर्मचारी, उसकी संविदा कालावधि के लिए किन्हीं पेंशन संबंधी फायदों का हकदार नहीं होगा. उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नहीं होगा.

(10) संविदा कर्मचारी शासकीय सेवा में नियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा.

(11) संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह की संविदा रकम का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है.

(12) अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए.

11. निर्वचन.—इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

12. शिथिलीकरण.—इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल को ऐसी रीति में, जो उन्हें न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु किसी मामले में ऐसी रीति में कार्यवाही नहीं की जायेगी, जो इन नियमों में उपबंधित रीति से उसके लिये कम अनुकूल हो.

अनुसूची

(नियम 5 देखिए)

क्र. (1)	संविदा सेवा में सम्मिलित पद (2)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता (3)	चयन समिति (4)	नियुक्ति प्राधिकारी (5)
1.	रेडियोग्राफर	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली में, जीवविज्ञान, रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा/12वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की हो. 2. रेडियोग्राफर में निर्धारित 6 मास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो.	कलेक्टर-अध्यक्ष सी. ई. ओ.-सदस्य सी. एम. ओ.-सदस्य सी. एस.-सदस्य	सी. एम. ओ.
2.	लेबोरेटरी टैक्नीशियन	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीवविज्ञान के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा/12वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की हो. 2. पैथोलाजी लेबोरेटरी टैक्नीशियन में निर्धारित 10 मास/1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो अथवा मेडिकल पैथालोजी में डिप्लोमा धारण करता हो. 3. नियुक्ति के पश्चात् विभागीय कर्मचारी के रूप में निर्धारित 9 मास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा.	कलेक्टर-अध्यक्ष सी. ई. ओ.-सदस्य सी. एम. ओ.-सदस्य सी. एस.-सदस्य.	सी. एम. ओ.
3.	नेत्र सहायक	1. जीवविज्ञान, रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र के साथ बी. एस. सी. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया हो. 2. राज्य की चिकित्सा संस्था से नेत्र सहायक का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो अथवा दृष्टिमिति तथा अपवर्तन (आप्टोमीटरी एण्ड् रेफ्रेक्शन) में डिप्लोमा हो तथा नेत्र कैम्प तथा अन्य में 3 मास का प्रशिक्षण प्राप्त हो.	कलेक्टर-अध्यक्ष सी. ई. ओ.-सदस्य सी. एम. ओ.-सदस्य सी. एस.-सदस्य.	सी. एम. ओ.
4.	फार्मेसिस्ट ग्रेड-2	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली में, जीवविज्ञान, रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो. 2. फार्मेसी में डिप्लोमा और 3. फार्मेसी काउंसिल में फार्मेसिस्ट के रूप में रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है.	कलेक्टर-अध्यक्ष सी. ई. ओ.-सदस्य सी. एम. ओ.-सदस्य सी. एस.-सदस्य.	सी. एम. ओ.
5.	ड्रेसर ग्रेड-2	1. 10+2 शिक्षा प्रणाली में, जीवविज्ञान, रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा/12वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की हो. 2. ड्रेसर का 3 मास का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो.	कलेक्टर-अध्यक्ष सी. ई. ओ.-सदस्य सी. एम. ओ.-सदस्य सी. एस.-सदस्य.	सी. एम. ओ.
6.	फिजियोथैरिपी टेक्नीशियन	1. जीवविज्ञान, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ बी. एस. सी. उत्तीर्ण हो. 2. फिजियोथैरिपी टैक्नीशियन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो.	कलेक्टर-अध्यक्ष सी. ई. ओ.-सदस्य सी. एम. ओ.-सदस्य सी. एस.-सदस्य.	सी. एम. ओ.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ठर्मिल मिश्रा, उपसचिव.

उपबन्ध

[नियम 10(1) देखिए]

करार का प्रारूप

यह करार एक पक्ष के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री ..... आयु ..... निवासी ..... (जो इसमें इसके पश्चात् कर्मचारी के रूप में निर्दिष्ट है) और द्वितीय पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जो आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल (जो इसमें इसके पश्चात् नियोजक के रूप में निर्दिष्ट है) की मार्फत् कार्य कर रहे हैं, के मध्य तारीख ..... को किया गया।

यतः, नियोजक ने मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अतिरिक्त संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 2002 के अधीन आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ..... खण्ड ..... जिला ..... के लिये संविदा कर्मचारी के रूप में कर्मचारी को नियुक्त किया है और कर्मचारी उक्त पद पर संविदा नियुक्ति के लिए सहमत है.

अब पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति है :—

(एक) दोनों पक्ष उक्त नियमों से आबद्ध होंगे और कर्मचारी द्वारा उक्त नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन कदाचार समझा जाएगा.

(दो) कर्मचारी को नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण की तारीख से संविदा सेवा में समझा जायेगा और मासिक संविदा रकम का भुगतान उस तारीख से किया जायेगा.

(तीन) इस संविदा के संबंध में किसी विवाद की दशा में केवल भोपाल स्थित न्यायालय की अधिकारिता होगी.

(चार) संविदा कर्मचारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शासन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें.

(पांच) किसी कदाचार या किसी आपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा कर्मचारी की संविदा सेवा समाप्त कर दें.

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षों ने इस करार पर उनके हस्ताक्षर के सामने क्रमशः उल्लेखित तारीख तथा वर्ष पर हस्ताक्षर किये.

साक्षी	पक्ष
(एक) हस्ताक्षर	(एक) हस्ताक्षर .....
नाम	नाम .....
पता	पता .....
.....	.....
(दो) हस्ताक्षर	(दो) हस्ताक्षर .....
नाम	नाम .....
पता	पता .....
.....	.....

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.